फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

मेसर बनाम स्टेट

किस्म मुकदमा : **136 LRA**

प्रकरण संख्या 215 / **2026**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख
10.06.2026	प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया की रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 327/279 की कुल 13.3700 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम मेसर पत्नी फुसा दर्ज है जो की गलत है प्रार्थीया के पति का नाम सही व वास्तविक नाम फुसाराम है। प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थीया के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। अत राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पति का नाम फुसा के स्थान पर फुसाराम दर्ज किया जावे। तहसीलदार नोहर, भू0अभि0 निरीक्षक एवं पटवारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि में प्रार्थीया के पति का नाम फुसा के स्थान पर फुसाराम किया जाना उचित है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 327/279 की कुल 13.3700 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पति का नाम फुसा दर्ज है प्रार्थी द्वारा अपने पति का नाम फुसा के स्थान पर फुसाराम दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थीया के पति का नाम फुसा के स्थान पर फुसाराम सही किया जाना उचित है। अत प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं तहसीलदार, भू0अभि0, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 327/279 की कुल 13.3700 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि में प्रार्थीया का नाम मेसर पत्नी फुसा के स्थान पर मेसर पत्नी फुसाराम का संशोधन किया जाता है। अगर उक्त संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार नोहर को लिखा जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हों। Rahul उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)	